राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
24 / 2024	18.01.2024	29.07.25

उनवानः

1. सुरेश चन्द पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 56 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम जोनायचा खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादी

दावा बाबत सनाम दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थितिः– श्रीमति नवीन बाला योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

।। निर्णय ।।

आज यह पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1869 रकबा 1.32 है0, 1874 रकबा 0.08 है0, 1875 रकबा 3.86 है0, 1879 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड मे स्थित है। उक्त आराजी मे मिन वादी के बुजूर्गो की विरासत का इंतकाल खोला गया उसमे राजस्व कर्मचारियो द्वारा मिन वादी के सही नाम की बिना जांच किये ही गलती व लापरवाही से उक्त आराजी मे कहीं पर मिन वादी का नाम सुन्दर पुत्र जगदीश दर्ज कर दिया तथा कहीं पर सुरेशचन्द पुत्र जगदीश दर्ज कर दिया गया जो गलत इन्द्राज राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होता चला आ रहा है जबकि मिन वादी का सही नाम सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद है। यही नाम मिन वादी के आधार कार्ड, वोटर पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सभी दस्तावेजात मे दर्ज है । मिन वादी को उक्त खसरा नम्बरान के राजस्व रिकार्ड मे मेरे गलत नाम की जानकारी तब हुई जब मैने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल निकलवाई तो मिन वादी दिनांक 26.12.2023 को तहसीलदार साहब से मिला तो तहसीलदार साहब ने रिकार्ड देखकर बताया कि यह गलती नामान्तकरण खोलते समय हुई है इसलिए राजस्व न्यायालय मे दावा दायर कर दुरूस्ती करवाओ इसलिए यह दावा पेश किया जा रहा है। वादी ने अपने दावा मे यह भी निवेदन किया है कि सुन्दर पुत्र जगदीश व सुरेशचन्द पुत्र जगदीश व सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद तीनो मिन वादी के ही नाम है। इन नामो के अलग–अलग व्यक्ति नही है ना ही हमारे गांव मे इन नामो का कोई दुसरा व्यक्ति है इसलिए राजस्व रिकार्ड मे मेरे गलत नामो को दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर सही नाम सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज किया जाने की प्रार्थना की गई।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बाद तामिल न्यायालय मे उपस्थित होकर जबाब पेश किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई।

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे पी.ड.–1 स्वंय वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श सं0 1 से प्रदर्श सं0 9 दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये है। वादी की साक्ष्य बन्द की जाकर, प्रतिवादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रतिवादी द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

उभय पक्षकार उपस्थित । वकील वादी की बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यो को दौहराते हुऐ। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

वादी का वाद पूर्ण रूप से साबित होने के कारण वादी का वाद डिक्री फरमाया जाने के तर्क दिये गये। पैरोकार सरकार द्वारा अपने जबाब दावा के समर्थन मे तर्क दिये की वादी का वाद डिक्री किया जाने पर कोई राजअहित नही होता है।

हमने वकील वादी की बहस पर गहनता से मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी प्रदर्श–1,2,3 मे सुन्दर पुत्र जगदीश के नाम से खातेदारी दर्ज है तथा खसरा नम्बर 1874, 1875 मे एक जगह सुन्दर पुत्र जगदीश तथा एक जगह सुरेशचन्द पुत्र जगदीश दर्ज है तथा पत्रावली मे पेश आधार कार्ड, पेन कार्ड, परिवार राशन कार्ड मे सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद दर्ज रिकार्ड है तथा सरपंच ग्राम पंचायत जोनायचाखुर्द द्वारा सुन्दर पुत्र जगदीश व सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद दोनो एक ही व्यक्ति के नाम होने का प्रमाण पत्र जारी किया गया है तथा वादी द्वारा अपनी साक्ष्य के रूप मे पेश शपथ पत्र मे कथन किया है कि मुझे गांव मे सुन्दर के नाम से भी जानते है लेकिन मेरा वास्तविक नाम सुरेशचन्द है। मेरे सभी दस्तावेजात मे मेरा नाम सुरेशचन्द दर्ज है लेकिन जमीन के कागजात मे मेरा नाम सुन्दर गांव मे बोलता नाम दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के पुर्ण अवलोकन से दावा मे वर्णित खसरा नम्बरान मे वादी का ही गलत नाम सुन्दर पुत्र जगदीश दर्ज किया हुआ है। जिसे दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं वादी के स्वंय के शपथ पत्र एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद साबित होने के कारण डिक्री होने योग्य पाया जाता है।

॥ आदेश ॥

अतः वादी स्वंय के शपथ पत्र के आधार पर,वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1869 रकबा 1.32 है0,1879 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " सुन्दर पुत्र जगदीश" व खसरा नम्बर हाल 1874 रकबा 0.08 है0, 1875 रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम घीलोठ तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0 की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " सुन्दर पुत्र जगदीश व सुरेशचन्द पुत्र जगदीश " दर्ज है, उनको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर " सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद " दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो तथा पत्रावली फैसल सूमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दफतर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 29-07-25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

महेन्द्रसिंह यादव
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)
उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

राजस्थान सरकार (डिक्री)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी : श्री महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद सं0	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
24 / 2024	18.01.2024	29-07-25

उनवान:

1. सुरेश चन्द पुत्र जगदीश प्रसाद उम्र 56 वर्ष जाति अहीर निवासी ग्राम ओनायचा खुर्द तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

...........वादी

बनाम

1. तहसीलदार नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

....प्रतिवादी

<u>दावा बाबत सनाम दुरूस्ती इन्द्राजात</u>

उपस्थितिः– श्रीमति नवीन बाला योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से।

॥ आदेश ॥

अतः वादी स्वंय के शपथ पत्र के आधार पर,वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 1869 रकबा 1.32 है0,1879 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम धीलोट तह0 नीमराना जिला कोटपूतलजी–बहरोड की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " सुन्दर पुत्र जगदीश" व खसरा नम्बर हाल 1874 रकबा 0.08 है0, 1875 रकबा 3.86 है0 वाके ग्राम धीलोठ तह0 नीमराना (कोटपूतली–बहरोड) राज0 की हाल जमाबन्दी के खातेदारी कॉलम मे जहां पर " सुन्दर पुत्र जगदीश व सुरेशचन्द पुत्र जगदीश " दर्ज है, उनको दुरूस्त किया जाकर उनके स्थान पर " सुरेशचन्द पुत्र जगदीश प्रसाद " दर्ज किया जाने की घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार हाल राजस्व रिकार्ड जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 29-07-2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

महेन्द्रसिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
(आर.ए.एस.)
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

उपखण्ड अधिकारी,नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0